

9.9.22 वकील वाडी इकाईवर वहास प्रमाण

023 R1 CPC सुनी गई। वकील वाडी
के कथन किया कि 'वाडीगण न
शाना तासे स्वतंत्र बोधका, स्वार्थी विवेधाना
एवं इतनी इंडाज का न्यायालय के
पेश किया है, उम्ह शाना शायरी के
वाडु वाडीगण को जानकारी हुई कि
विधिगत तकनीकी कृमियो के कारण
शाना चलने योग्य नहीं है इसलिए
शाना विहीन इट फुल: नया शाना
पेश करने की अनुमति लेना चाहते हैं)

प्रमाणकी का आपलोकन किया वहास
का गणन किया द्वारा कभी प्राशस्त्रीक
स्तर पर है एवं 023 R1 CPC के अन्तर्गत
वाडी कपना द्वारा किसी भी स्तर पर विहीन
चल सकता है)

अतः आदेश है कि वाडीगण को शाना
विहीन करने की अनुमति दी जाती है।
और फुल: तकनीकी कृमि पूर्ण पश्चात
नया शाना पेश करने की अनुमति दी
जाती है। वाडीगण को शाना विहीन के आधार
पर वारिफ किया जाता है। प्रमाणकी केसलक्षण
होकर शाना दफ्तर किया जाता है।

उपखण्डाधिकारी
बैलपर (चज)